

## प्रेस नोट      जनपद बिजनौर      दिनांक-11.09.2020

आज दिनांक 11-09-2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद बिजनौर के व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गई तथा व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर अहम निर्णय लिये गये। समस्याओं के साथ साथ नगर में व्यस्त बाजारों में लगे जाम के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। साथ ही कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत व्यापारियों को सावधानी बरतने व सरकार की गाईडलाईन के पालन के सम्बन्ध में बताया गया। व्यापारियों द्वारा फूल गुलदस्ता देकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को सम्मानित किया गया।





थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड कर 02 अभिगण 35 बने-अधबने शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार।

मु0अ0सं0-542 / 2020

धारा- 5 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम-पीतम व रामौतार

दिनांक घटना-11.09.2020

समय-02:35 बजे

घटना स्थल- चांदपुर दत्तियाना रोड

पर सर्वोदय विद्यापीठ इण्टर कॉलेज के पास लाला के बंद पडे केशर का खण्डहर

दिनांक गि0/ब0-11.09.2020

समय-05:25 बजे


गि0/ब0 स्थल- चांदपुर दत्तियाना

रोड पर सर्वोदय विद्यापीठ इण्टर कॉलेज के पास लाला के बंद पडे केशर का खण्डहर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-पीतम पुत्र रूप सिंह नि0 मीरापुर खादर थाना चांदपुर, बिजनौर।

2-रामौतार पुत्र रामकिशन नि0 ग्राम जमालुद्दीन थाना चांदपुर, बिजनौर।



बरामदगी का विवरण-

1-10 अदद तमंचे 315 बोर

2-04 अदद तमंचे 12 बोर

3-एक रायफल 315 बोर

4-एक बन्दूक 12 बोर

5-03 कारतूस जिन्दा 12 बोर

6-02 कारतूस जिन्दा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर

7-अधबने तमंचे / नाले-19

8-एक कट्टे में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

—मु0अ0सं0 542 / 2020 धारा 5 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम पीतम व रामौतार उपरोक्त ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास—

#### अभियुक्त पीतम उपरोक्त—

- 1—मु0अ0सं0 542 / 2020 धारा 5 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर
- 2—मु0अ0सं0 776 / 2019 धारा 452 / 323 / 504 / 506 भादवि थाना चांदपुर
- 3—मु0अ0सं0 819 / 2019 धारा 5 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर
- 4—मु0अ0सं0 192 / 2018 धारा 135 भारतीय विद्युत अधि0 थाना चांदपुर

#### अभियुक्त रामौतार उपरोक्त—

- 1—मु0अ0सं0 542 / 2020 धारा 5 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर
- 2—मु0अ0सं0 1319 / 2006 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर
- 3—मु0अ0सं0 490 / 2005 धारा 110 G दं0प्र0सं0 थाना चांदपुर
- 4—मु0अ0सं0 375 / 2005 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर
- 5—मु0अ0सं0 374 / 2005 धारा 5 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर

#### घटना का संक्षिप्त विवरण—

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अवैध शस्त्रों की बरामदगी व अवैध शस्त्र बनाने में सलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदपुर पुलिस द्वारा दिनांक 10 / 11.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्तगण 1—पीतम 2—रामौतार** को अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री तथा 35 बने-अधबने शस्त्र सहित चांदपुर दत्तियाना रोड पर सर्वोदय विद्यापीठ इण्टर कॉलेज के पास लाला के बंद पड़े केशर का खण्डहर से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में **थाना चांदपुर पर पर मु0अ0सं0 542 / 2020 धारा 5 / 25 शस्त्र अधिनियम** पंजीकृत किया गया।

#### पूछताछ का विवरण—

अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि **हम अवैध शस्त्रों का निर्माण कर तमंचा—5,000 / रूपये, बंदूक—20,000 / रूपये व रायफल—35,000 / रूपये में आस—पास के क्षेत्र में बेचते हैं।** तमंचो के विक्रय से जो पैसे मिलते हैं उन पैसे को आपस में बॉटकर आजीविका चलाते हैं तथा अपने सभी शौक को पूरा करते हैं। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में इनकी भरपूर मांग के चलते अत्यधिक निर्माण कर रहे थे। आप लोगो द्वारा पकड लिया गया।

अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अवैध शस्त्रों की सप्लाई किये जाने वाले लोगो की जानकारी की जा रही है। इनके द्वारा अब तक की गयी अवैध कमाई की जानकारी की जा रही है। अभियुक्तगण के विरुद्ध हिस्ट्रीशीटर व गैंगस्टर की कार्यवाही प्रचलित है।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—

- 1—प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार 2—उ0.नि0 श्री धीरज सिंह 3—उ0.नि0 श्री करमजीत सिंह
- 4—उ0.नि0 श्री जयदेव सिंह 5—उ0.नि0 श्री जयदेव सिंह 6—उ0.नि0 श्री नरेश कुमार 7—उ0.नि0 श्री कुलदीप राणा 8—उ0.नि0 श्री सुभाषचन्द 9—हे0.कां0 135 स्वदेशपाल 10—कां0 135 आर्यन
- 11—कां0 557 सचिन पंवार 12—कां0 1445 सतीश 13—कां0 421 नेत्रपाल 14—कां0 1368
- 15—कां0 प्रवेश

## थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अपने दादा की हत्या करने वाले पोते को आलाकत्ल

### सहित किया गिफ्तार

दिनांक 10.9.2020 समय 13.00 बजे , श्री शाहिद हुसैन पुत्र अमीर हुसैन नि० ग्राम मानियावाला थाना अ०गढ जनपद बिजनौर थाना पर लिखित तहरीर सूचना दी गयी । कि आपसी बटवारे को लेकर दिलशेद पुत्र शेरअली नि० ग्राम मानियावाला थाना अ०गढ जनपद बिजनौर द्वारा अमीर हुसैन के सिर व मुह पर लकडी से मारपीट कर घायल कर दिया था । जिसे बेहोशी हालत में उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया । इस सम्बंध में थाना हाजा पर मु०अ०स० 264/2020 धारा 308/506 भादवि० पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी विवेचना के मध्य विवेचना के दौरान घायल अमीर हुसैन पुत्र अजीमुल्ला नि० ग्राम मानियावाला थाना अ०गढ जनपद बिजनौर की मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 304 भादवि० की बढोतरी की गयी ।

आज दिनांक 11.9.2020 को प्रभारी निरी० श्री राजेश कुमार तिवारी के निर्देशन में उ०नि० श्री रविन्द्र कुमार नैन व का० 1960 शिवशंकर द्वारा अभियुक्त दिलशेर पुत्र शेरअली नि० ग्राम मानियावाला थाना अ०गढ बिजनौर नें जसपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है । जिसकी निशा देही पर घटना में उरयुक्त आला कत्ल (डन्डा) बरामद किया गया है । अभियुक्त दिलशेर पुत्र अली शेर उपरोक्त को धारा 304/506 भादवि० में मा० न्या० पेश किया जा रहा है ।



### बरामदगी

1. अलाकत्ल डन्डा लकडी

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभा० निरी० राजेश कुमार तिवारी
2. उ०नि० रविन्द्र कुमार नैन
3. का० 1960 शिवशंकर

**थाना हल्दौर:-** थाना हल्दौर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0 संख्या 253/2020 धारा 2/3 गेंगस्टर के वाँछित अभियुक्त जुनेद पुत्र शमीम निवासी ग्राम अथाई जमरुदीन थाना हल्दौर जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।



**थाना किरतपुर:-** थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाना किरतपुर से TOP 10 अपराधी मेहरबान पुत्र जामिलुद्दीन उर्फ जमील निवासी मो0 अफगफनान थाना किरतपुर को मु0अ0स0 284/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।



**थाना नगीना देहात:-** थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त अनुज चौहान पुत्र कुशलपाल सिंह सम्बन्धित मु0अ0सं0 252/20 धारा 302/201 भादवि में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



**बैंक चैकिंग** -पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी मय फोर्स के सभी बैंकों को चैक कर बैंक में आने वाले लोगों को कोविड 19-से बचाव हेतु मास्क लगाने तथा कैश जमा करने व निकालने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गयी ।



